



Ref. No. KU/R/558/124

Date 01-06-24

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची के प्रत्रांक:DHESec2/सबधन-27/2020/HTESD-988 दिनांक 04/05/2023 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अद्यतन स्टैच्यूट के प्रावधानों के आलोक में कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन निम्न महाविद्यालयों को B.Ed पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2023-25, 2024-26, & 2025-27 के लिए शर्ताधीन अस्थायी संबधन दीर्घाकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं०	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	सत्र	अभियुक्ति
1	Aashu Kishu Memorial & Rabi Kisku Teachers Training Institute, Lupungdih	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण
2	JKM College of Management Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण
3	D.B.M.S. College of Education Kadma, Jamshedpur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण
4	Rambha College of Education, Gitilata	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण
5	Institute for Education, Bijay, Seralkella	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण
6	Swami Vivekanada College of Education, Salboni	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण
7	Madusudan Mahto Teachers Training College, Chakradharpur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण
8	Srinath College of Education, Adityapur, Jamshedpur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण
9	Karim City College, Jamshepur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण
10	Jamini Kant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबधन दीर्घाकरण

शर्तें:-

- महाविद्यालय, द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों एवं शर्तों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाएगा।
- महाविद्यालय, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर/ NCTE, नयी दिल्ली, द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्गत पनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें, विश्वविद्यालय द्वारा संबधन दीर्घाकरण की अधिसूचना जानी होने के 06 महीने के अंदर NAAC portal पर IQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
- विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अभिषद के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

दिनांक 01-06-24

ज्ञापाक KU/R/558/24

प्रतिलिपि:

- प्राचार्य संबधित महाविद्यालय।
- परीक्षा नियंत्रक/ उप कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
- कुलपति/प्रतिकुलपति के सहायक को उनके सूचनार्थ।
- सचिका में।

कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा